न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः— 03 / 2023
दायर दिनांकः— 04.04.2023
निर्णय दिनांकः— 22.05.2024

उनवान

1. बाबूलाल पिता परथ अहीर, निवासी रामाखेड़ा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. सुरजमल पिता परथा अहीर,, निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1. नानालाल पति गोपू चमार, निवासी गाडरियावास, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. भगवानलाल पिता गंगाराम चमार, निवासी रामाखेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
3. बंशीलाल पिता लखमा अहीर, निवासी रामाखेड़ा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. सोहन पिता शंकर कुम्हार, निवासी रामाखेड़ा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. मोहन पिता उदा अहीर, निवासी रामाखेड़ा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. नन्दलाल पिता हरिराम अहीर, निवासी रामाखेड़ा, तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार–बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500–रूपय शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम बूल रामाखेड़ा पटवार हल्का बबसना तहसील भूपालसागर के आ. सं. 1752 रकबा 0.02 हैक्टर, आ. सं. 1753 रकबा 1.90 हैक्टर, आ. सं. 1829 रकबा 0.03 हैक्टर, आ. सं. 1830 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 2.18 हैक्टर में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओ की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर